5 प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पेश कर न्यायालय के प्रकरण संख्या 04/2024 पारित निर्णय दिनांक 11.09.2025 में संशोधन का पेश किया। जिसमें निवेदन किया कि श्रीमान न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांकित 11.09. 2025 के निष्कर्ष पद में श्रीमान न्यायालय द्वारा निम्न आदेश फरमायाः— हमने वादी अधिवक्तागण की बहस को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में प्रस्तुत मूल वाद एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन कर समग्र रूप से विवेचन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम डोलिया, पटवार हल्का रूड़कली, भू अ निरीक्षक बिसलपुर, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 91 रकबा 74 बीघा 8 बिस्वा आई हुई है मे से 2 बीघा 19 बिस्वा 5 बिस्वांसी हिस्से के खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार जोधपुर को कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाय मिटस बाउन्ड बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए इस न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इस आशय की डिक्री जारी हो।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद, प्राथमिक डिक्री, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी का अवलोकन किया व प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.09.2025 में संशोधन करते हुए वादी कम्पनी की खरीदसुदा कृषि भूमि मूल खसरा संख्या 91 के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा कुटरचित आधार पर आपसी सहमती से बंटवाड़ा करवाकर नामान्तरकरण संख्या 274 दर्ज करवा लिया जो प्रदर्श 10 प्रदर्शित करवाया गया है इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी कंपनी की खरीद सुदा भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को बेचानामा निष्पादित कर उनका नामान्तरकरण उपरोक्त वर्णित बंटवाड़े के आधार पर खसरा संख्या 91, व इसके बट्टे 91/2, 91/3 व 91/4 के राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा दिया जो पश्चातवर्ती बेचाननामों के आधार पर प्रारम्भ से ही शून्य है। वादी कम्पनी की ओर से वाद के समर्थन में पेश साक्ष्य में राजस्व रेकर्ड प्रदर्शित करवाया था जो प्रदर्श संख्या 7 व 9, गिरदावरी प्रदर्श 8, तथा नामातंरण संख्या 274 (सहमति बंटवारा) का रेकर्ड प्रदर्श संख्या 10 प्रदर्शित करवाया था, जिसमें वादी कम्पनी की खरीदसुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 91 के अलावा 91/2, 91/3 व 91/4 में भी दर्ज हैं जो उपरोक्त प्रदर्शित दस्तावेजो से साबित हैं। लिहाजा उपरोक्त निर्णय व डिक्री के अंतिम पद निष्कर्ष में भी उपरोक्त मूल खसरा संख्या 91 के साथ उनके बट्टा खसरों को भी शामिल कर निर्णय में शामिल किया जाना न्यायोचित हैं। वादी कम्पनी की ओर से वाद के समर्थन में पेश साक्ष्य में राजस्व रेकर्ड प्रदर्शित करवाया था जो प्रदर्श संख्या 7 व 9, गिरदावरी प्रदर्श 8, तथा नामातंरण संख्या 274 (सहमति बंटवारा) का रेकर्ड प्रदर्श संख्या 10 प्रदर्शित करवाया था, जिसमें वादी कम्पनी की खरीदसुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 91 के

Scanned with OKEN Scanner

दस्तावेजो से साबित हैं। लिहाजा उपरोक्त निर्णय व डिक्री के अंतिम पद निष्कर्ष में भी उपरोक्त मूल खसरा संख्या 91 के साथ उनके बट्टा खसरों को भी शामिल कर निर्णय में शामिल किया जाना न्यायोचित हैं।

अतः तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेशानुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 91 के अलावा 91/2, 91/3 व 91/4 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के नाम विलोपित किए जाकर वादी कंपनी का नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। उक्त संशोधित आदेश को निर्णय दिनांक 11.09.2025 का भाग समझा जावें। उपरोक्त निर्णय अनुसार संशोधित डिक्री पृथक से जारी हों।

Scanned with OKEN Scanner